कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महोबा।

पत्रांक– /2022–23 दिनांक– 24-/02-/2023

सेवा में,

जिला सूचना अधिकारी,

महोबा।

विषय– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के माध्यम से अवगत कराना है कि जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संलग्न विज्ञप्ति के अनुसार पद रिक्त है जिन्हे भरने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमति प्रदान कर ली गयी है। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार संलग्न विज्ञप्ति को 02 लोक प्रिय दैनिक समाचार पत्र, दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक हिन्दुस्तान के कानपुर संस्करण में न्यूनतम शासकीय दर पर 12cmX16cm कम से कम स्पेस में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें। जिससे ससमय विज्ञप्ति प्रकाशित होकर चयन की कार्यवाही की जा सके।

WWW.VACANCYFORM.ORG

(अजय कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
महोबा।

पृं0सं0 / 9542-55 /2022–23 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी,महोदय महोबा।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय महोबा।
3. उपजिलाधिकारी, जनपद महोबा।
4. प्राचार्य , जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चरखारी महोबा।
5. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद महोबा।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी , जनपद महोबा।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) महोबा को इस अनुरोध के साथ की संलग्न विज्ञप्ति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि संलग्न विज्ञप्ति एवं प्रारूप को htt://www.mahoba.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अजय कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
महोबा

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महोबा।

पत्रांक– एस0एस0ए0/बा0शि0/ 9542-55 /2022–23 दिनांक– 24/02/2023

–: विज्ञप्ति :–

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय लखनऊ के पत्रांक–के0जी0बी0वी0/11308/2022–23 दिनांक 14–02–2023, प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2805/68–5–2023–05/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 01–02–2023 तथा अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1553/68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 11–12–2020 द्वारा दिये गये निर्देश के कम में जनपद महोबा में संचालित 04 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	पद का नाम विषय सहित	रिक्त पदो का आरक्षण					शैक्षिक योग्यता	मानदेय प्रतिमाह	आयु
		सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर	ओ0बी0सी0	अनु0जा0/जनजाति	योग			
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (गणित)	1	-	-	1	2	पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	25-45 year
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (भाषा)	-	-	1	-	1	हिन्दी एवं संस्कृत से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	25-45 year
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (अंग्रेजी)	1	-	-	-	1	अंग्रेजी से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	22000.00	25-45 year
4	अंशकालिक शिक्षिका (कम्प्यूटर विषय)	1	-	1	-	2	प्रशिक्षित स्नातक उपाधि के साथ एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 आदि प्रशिक्षण योग्यता सम्मलित है। उक्त के अतिरिक्त पी0जी0डी0सी0ए0 /बी0सी0ए0/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित DOEACC या समकक्ष संस्था से "ओ" लेवल/ "ए" लेवल डिप्लोमा	9800.00	25-45 year
5	अंशकालिक शिक्षिका (स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा)	-	-	1	-	1	बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	9800.00	25-45 year
6	लेखाकार (महिला)	1	-	-	-	1	स्नातक वाणिज्य तथा एम0एस0 ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में 'ओ' लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता को वरीयता	11000.00	25-45 year
7	सहायक रसोईया (महिला)	4	-	-	-	4	आठवीं पास	5175.00	25-45 year
8	सफाई कर्मी (महिला)	2	-	1	-	3	आठवीं पास	5750.00	25-45 year
	योग	10	0	4	1	15			

उक्त विज्ञप्ति पदो पर चयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर रू0 27 का डाक टिकट लगे दो लिफाफे सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 20–03–2023 को सांय 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा निकट एस0पी0 आवास के पास महोबा पिन 210427 में प्राप्त कराया जायेगा। केवल रजिस्टर्ड डाक ही मान्य होगा। उक्त पदों पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन अर्हता एंव दिशा–निर्देश सहित आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद महोबा के **N.I.C** की बेबसाइट **htt://www.mahoba.nic.in** तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा के सूचना पट पर उपलब्ध है।

(शशॉक सचान)
प्र0 जि0स0 बा0 शिक्षा
एस0एस0ए0, महोबा।

(अजय कुमार मिश्र)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महोबा।

आवश्यक निर्देश/अर्हताः–

1– समस्त रिक्त पदों का चयन महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय लखनऊ के पत्रांक–के0जी0बी0वी0/11308/2022–23 दिनांक 14–02–2023, प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2805/68–5–2023–05/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 01–02–2023 तथा अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–1553/68–5–2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 11–12–2020 में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार होगी।

2– विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों का चयन महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा कार्यालय लखनऊ के पत्रांक–के0जी0बी0वी0/11308/2022–23 दिनांक 14–02–2023, प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2805/68–5–2023–05/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 01–02–2023 के पत्र में उल्लिखित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों पर चयन/पदस्थापन किये जाने के निर्देश दिये गये है जो विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।

3– राज्य सरकार के नवीनतम प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा। उपरोक्तानुसार चयन हेतु उम्र का निर्धारण **01 अप्रैल 2023** से माना जायेगा। चयन के समय अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक न हो।

4– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे है, उन शिक्षिकों द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में जनपद में आवेदन करने पर, उन्हे चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत् रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।

5– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे है, उन शिक्षिकों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश सं0 के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29–07–2013 के पूर्व कार्यरत् शिक्षकों के टी0ई0टी0 की अनिवर्यता नहीं होगी।

6– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे है, उन शिक्षिकों द्वारा रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सप्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।

7– पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 अथवा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मलित किया जायेगा।

8– कम्प्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से "ओ लेवल"/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।

9– बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।

10– लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0 ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में 'ओ' लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी। लेखाकार का चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। इस पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।

11– क0गा0बा0वि0 में उक्त पदों पर शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। जिसमें हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं बी0एड0 के अंकों के प्रतिशत को जोडकर लब्धांक निकाला जायेगा। जिनके चयन के लिए भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगाः–

क्र0सं0	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100

SRawat

3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 20/100
4	प्रशिक्षण उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 30/100
5	**भारांक–** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत् अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 02 अंक, अधिकतम 30 अंक जो भी कम हो

इसके अतिरिक्त सहायक रसोईया तथा सफाईकर्मी हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 पास होगी व इनका चयन साक्षात्कार (शारीरिक क्षमता एवं पाक कला के ज्ञान के आधार पर) के माध्यम से किया जायेगा साथ ही अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिये। पूर्ण कालिक शिक्षिका व सहायक रसोईया का पद पूर्ण कालिक है। इनके लिए महिला होना तथा चयन के उपरान्त विद्यालय परिसर में निवास करना अनिवार्य है।

12–विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्तियों के सापेक्ष महिला अभ्यर्थी का ही चयन किया जायेगा। महिला अभ्यर्थी न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

13– किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक/चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एंव दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह/पात्र नहीं होंगे।

14– अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा। नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित दो फोटो ग्राफस, समस्त शैक्षिक अंकपत्रों, प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र एवं वांधित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित हो, संलग्न किया जायेगा। आवेदन के साथ 02 लिफाफे जिन पर अपना पता लिखा हुआ जिसमें रू0 27/– का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा संलग्न करें।

15– एक लिफाफे पर केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा। एक लिफाफे पर एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगें। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एंव आरक्षण कोटि स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में अंकित किया जाये।

16– विज्ञप्ति के साथ निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में कोई भी परिवर्तन/परिवर्धन अमान्य होगा। आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाओं के बाद में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। सभी सूचनाएं निर्धारित स्थान पर स्वच्छता से अंकित किये जायें। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराइटिंग की दशा में अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही इसकी सूचना अभ्यर्थी को दी जायेगी।

17– आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुलस्कैप कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य हैं। अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/प्रमाणित फोटो रहित/निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन निरस्त कर दिये जायेगे।

18– केवल पंजीकृत डाक से ही आवेदन पत्र दिनांक 20–03–2023 को सायं 05.00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा आवेदन भेजने का पता कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा। पंजीकृत डाक से डाक द्वारा विलम्ब से आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

19– उपरोक्त समस्त पद शैक्षिक सत्र 2022–23/2023–24 के लिए संविदा पर आधारित होंगे तथा कार्य संतोषजनक होने की दशा में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त अगले शैक्षिक सत्र हेतु 11 माह 29 दिन हेतु संविदा कार्यकाल में राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के दिशा–निर्देशानुसार वृद्धि की जा सकती है।

20– रिक्तयो की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है। तथा किसी भी पद के लिये विज्ञापन निरस्त करने का सर्वाधिकार सचिव/अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा। इसमें किसी भी प्रकार का दावा स्वीकर नहीं किया जायेगा।

21– चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम रूप से माना जायेगा।

22– अभ्यार्थियों की समस्त मूल प्रमाण पत्र काउन्सिलिंग के समय जमा किया जाना अनिवार्य होगा। सत्यापनोपरान्त समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा अभिलेख वापस कर दिये जायेंगें। फर्जी पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर मूल प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिए जायेंगें।

23– शैक्षिक/शिक्षणेत्तर स्टाफ की नवीन चयन के पश्चात् सम्बन्धित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत प्रमाणपत्रों को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा, जिनका सम्बन्धित बोर्ड/परीक्षा संस्था से सत्यापन, आधार एवं निवास का सत्यापनोपरान्त ही मानदेय भुगतान किया जायेगा। अभिलेख फर्जी पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर मूल प्रमाण पत्र भी जब्त कर लिए जायेंगें।

24. माननीय न्यायालय एंव राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के निर्देशानुसार ही मानदेय देय होगा व चयन की समस्त शर्ते राज्य परियोजना कार्यालय के दिशा–निर्देशानुसार ही होगी।

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदित पद का नाम..

2. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) ....

(अंग्रेजी के बडें कैपिटल अक्षरों में) ....

3. पिता/पति का नाम...

4. गृह जनपद का नाम व स्थायी पता (ग्राम, पोस्ट, थाना, तहसील, जनपद व पिन कोड सहित)........................

–..

–..

5. पत्र व्यवहार का पता (ग्राम, पोस्ट, थाना, तहसील, जनपद व पिन कोड सहित).......................................

–..

–..

6. मोबाइल नं0...

7. जाति/वर्ग (अनारक्षित/अनु0जाति/अनु0जन जाति/अ0पि0वर्ग0/आर्थिक रूप से पि0)..............................

(आरक्षण श्रेणी/कोटि होने के अन्तर्गत अद्यतन जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें।).

8. जन्म तिथि (हाईस्कूल/आठवीं के अभिलेखानुसार) (अंकों में)..............................(शब्दों में)......................................

9. 01 अप्रैल 2022 को प्रमाण पत्र के अनुसार आयु.............................. दिन..............................माह..............................वर्ष।

10. शैक्षिक योग्यता–

क्र0 सं0	शैक्षिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय/ विद्यालय का नाम	विषय	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	अंको का प्रतिशत
1	कक्षा 8						
2	हाईस्कूल						
3	इण्टरमीडिएट						
4	स्नातक						
5	प्रशिक्षित स्नातक						
6	टी0ई0टी0						
7	MS Office/DOEACC/'o' Level/same other Qualification As per SPO Norms						
8	अन्य योग्यतायें						

11. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षण का अनुभव (प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र0 सं0	के0जी0बी0वी0 का नाम	प्रथम संविदा तिथि	अंतिम संविदा तिथि	शिक्षण कार्य का अनुभव		
				दिन	माह	वर्ष
1						
2						

12. अनुभव यदि कोई हो तो विवरण के साथ अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।...

13.संलग्नकों का विवरण...

–..

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी.. शपथ पूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में उक्तवत् दिये गये समस्त जानकारी पूर्णतया सत्य है एवं किसी तरह का तथ्य गोपन नहीं किया गया है। चयन के पूर्व अथवा बाद में जॉचोपरान्त कोई भी विवरण असत्य/प्रमाण पत्र फर्जी/कूट रचित पाये जाने पर जनपदीय चयन समिति/समक्ष प्राधिकारी को मेरा सेवा अनुबन्ध समाप्त करते हुये प्राथमिकी दर्ज कराने व भुगतानित मानदेय की वसूली करने का अधिकार होगा। आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं से सम्बन्धित मूल प्रमाण/ अंक पत्र आवेदन करने की तिथि से मेरे पास उपलब्ध है।

दिनांक–

स्थान–

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर